न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 17/2021

बउनवान

[illegible]लाल आयु 51 वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्दलक तहसील व जिला बारां (राज.)
(अपीलांट)

बनाम

1. मदनपाल आयु 42 वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्दलक तहसील व जिला बारां (राज.)
2. उर्मिला आयु 48 वर्ष पुत्री श्री रामेश्वरा पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
3. रूकमणी आयु 46 वर्ष पुत्री श्री रामेश्वर पत्नि श्री राजेन्द्र जाति मीणा निवासी रूण तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. रामू बाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्री रामेश्वर पत्नि श्री शिवचरण जाति मीणा निवासी ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
5. भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय, बारां तहसील व जिला बारां (राज.)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां

(रेंस्पोडेंट्स)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 951 दिनांक 30.09.2021 ग्राम सुन्दलक
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :— 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल एडवोकेट **(रेस्पो. क्रम 1ता 4)**

निर्णय दिनांक 21.10.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 18.04.2021 को तथा माता की मृत्यु दिनांक 08.05.2021 को ग्राम सुन्दलक में हो चुकी है। अपीलांट तथा रेस्पोडेन्द क्रम 1 ता 4 सगे भाई बहन है तथा जाति से मीणा है। रामेश्वर की मृत्यु के पश्चात तहसील बारां में फौती नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया था कि मीणा जाति में शादीशुदा पुत्रियों को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता तथा रेस्पो. क्रम 2 ता 4 की शादी लगभग 20—25 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा वह अपने—अपने पति के साथ निवास कर रही हैं। अपीलांट के पिता के नाम दर्ज आराजी में से 1.17 है. भूमि परवन वृह्द सिंचाई परियोजना हेतु अधिग्रहित कर नोटिस भी जारी कर दिये जिनका मुआवजा दिया जाना शेष है। तथा आराजी खसरा नंबर 43 की रकबा 0.51 है. का मुआवजा का चेक 21,76,126/— रूपये का खातेदार रामेश्वर के नाम दिया जा चुका है। तहसीलदार बारां द्वारा विरासत के नामांतरण में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 4 के नाम भी दर्ज कर दिये जबकि इससे पूर्व अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के [illegible] वाद अंतर्गत धारा 53,88,188,92(ए) आर टी एक्ट का विचाराधीन होते हुए भी उक्त नाम[illegible] किया है जो वैधानिक प्रावधानो के अनुसार निरस्त किये जाने योग्य है। [illegible] अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण के हक एवं अधिकार तय होगें। वाद पेन्डिंग [illegible] शादीशुदा पुत्रियों के न[illegible] जाना वैधानिक रूप से गलत होने के कारण तहसीलदार बारां [illegible] ग्राम सुन्दलक का न[illegible] संख्या 951 दिनांक 30.09.2021 बाबत दिया गया आदेश निरस्त फरमावें तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:38 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 1 ता 4 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 4 आपस में सगे भाई बहिन हैं जो कि मृतक खातेदार रामेश्वर के वारिसान हैं तथा जाति से मीणा हैं। मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तथा मृतक पिता की सम्पत्ति में शादीशुदा पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा इस बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई गौर नहीं किया तथा मृतक पिता रामेश्वर के फौती नामांतरण में शादीशुदा पुत्रियों रेस्पो. क्रम 2 ता 4 के नाम भी दर्ज कर दिये। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने विधिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2014 पृष्ठ संख्या 213 से 239 बउनवान कल्यान व अन्य बनाम नानगा व अन्य तथा आर.आर.डी. जनवरी 2002 पृष्ठ संख्या 31 से 33 बउनवान श्रीबाई बनाम श्रीमति पान बाई व अन्य की छायाप्रतियां पेश की तथा तहसीलदार बारां द्वारा तस्दीक किया गया ग्राम सुन्दलक का नामान्तरण संख्या 951 दिनांक 30.09.2021 को निरस्त कर विधिक प्रावधानोनुसार प्रकरण तहसीलदार बारां को पुत्रों के नाम नामान्तरण दर्ज करने हेतु रिमांड किये जाने की इस्तदुआ की।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि नामान्तरण समरी ट्रायल व फिसकल कार्यवाही है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत वाद के संबंध में है। हक व अधिकार तय किये जाने हेतु वाद होना आवश्यक है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में उभयपक्ष के मध्य वाद विचाराधीन है तथा उभयपक्षकारान के हक एवं अधिकार नियमित वाद के माध्यम से तय होंगे। हर परिवार के रीति रिवाज अलग–अलग होते हैं। अतः वाद निर्णय तक नामान्तरण यथावत रखा जावे।

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया की, मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने से विवाहित पुत्रियों को मृतक पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में घोषणा का वाद भूमि परवन सिंचाई परियोजना में अधिग्रहण होने पर इसलिये पेश किया है कि मुआवजा रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 4 को नहीं मिले। नियमित वाद के निस्तारण तक मुआवजा किसी को भी नहीं मिलना चाहिये। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां द्वारा तस्दीक किया गया ग्राम सुन्दलक का नामान्तरण संख्या 951 दिनांक 30.09.2021 को निरस्त कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन वाद के निर्णय अनुसार नामांतरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में घोषणा का वाद लम्बित है जिसमें समस्त पक्षकारान के हक अधिकार तय होंगे। अपीलाधीन नामांतरण उक्त वाद पेश होने के पश्चात दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बारां द्वारा तस्दीक किया गया ग्राम सुन्दलक का नामातंकरण संख्या 951 दि0 30.09.2021 निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में पक्षकारान के मध्य विचाराधीन वाद में पारित निर्णय अनुसार पुनः नये सिरे से नामान्तरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलेक्टर
बारां (राज०)